

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**  
क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-भरतपुर/एफ.02/2024/ 48) दिनांक 23.05.2024  
**आदेश**

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिका को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान<br>सुश्री/श्री/श्रिमती                                                                                    | प्रथम नियुक्ति तिथि | मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि | स्वीकृत एसीपी             |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                     |                     |                                             | वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल | देय पे मैट्रिक्स लेवल |
| 1.       | मीता अग्रवाल,<br>फिजियोथेरेपिस्ट<br><br>अधीक्षक एवं प्रमुख<br>चिकित्सा अधिकारी<br>राजकीय आयुर्विज्ञान<br>महाविद्यालय व सम्बद्ध<br>चिकित्सालय भरतपुर | 29.09.2014          | 29.09.2023<br><br>(09वर्षीय)                | एल-11                     | एल-12                 |

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-भरतपुर/एफ.02/2024/ 48) दिनांक 23.05.2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर